CNR N0-UPBJ010082122017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।

एस0एस0सी0 वाद सं0:– 13/2017

जवाहिर हुसैन **बनाम** अतीक अहमद

14–11–2018–

पत्रावली प्रस्तुत हुई।

उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हुये।

वादी की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र बाद मियाद प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रावली पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि उसने प्रतिवादपत्र जानकारी के पश्चात प्रस्तुत कर दिया है। न्यायहित में स्वीकृत कर लिया जाये।

सुना गया। आदेशपत्र के परिशीलन पर पाया गया कि दि0 18–12–2017 को प्रतिवादी का वकालतनामा पत्रावली पर आ चुका था, जिसके पश्चात दि0 27–04–2018 को प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है। प्रतिवादपत्र लगभग 4 माह पश्चात दाखिल है। किन्तु इस मध्य शीतकालीन अवकाश भी हुये है। इसके अतिरिक्त दि0 12–04–2018 को प्रतिवादपत्र हेतु दिनांक प्रतिवादी को प्रदान की गई थी। जिसके पश्चात अगली तिथि पर ही दि0 27–04–2018 को उसने प्रतिवादपत्र दाखिल कर दिया। अतः प्रतिवादपत्र ग–24 पत्रावित हो। अतः पत्रावली वास्ते रेप्लीकेशन/साक्ष्य वादी दि0 04–12–2018 को पेश हो।

(डा0 पल्लवी अग्रवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय सं01, बिजनौर।